राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 83/2023
तारीख दायर : 04.08.2023

अनवान

1. नानी बाई पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. प्रेम पत्नी स्व. घीसू जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
3. बालु पुत्र लक्ष्मीचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
4. भवानी शंकर पुत्र लक्ष्मीचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
5. मांगीबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
6. रूपलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बिठलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण....

बनाम

1. नन्दराम पुत्र शंकरलाल जाति शर्मा निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. मांगीबाई पत्नी शंकर लाल जाति शर्मा निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
3. प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप जाति शर्मा निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
4. कैलाश पुत्र रामप्रसाद जाति शर्मा निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
5. घनश्याम पुत्र मांगीलाल जाति शर्मा निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
6. विष्णुदत्त पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
7. अशोक पुत्र कैलाश जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
8. गायत्री पुत्री कैलाश जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
9. गोपाल पुत्र रूपा जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
10. भूरी पत्नी स्व. बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
11. मंजु देवी पत्नी स्व. कैलाश जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
12. राजूलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
13. राधेश्याम पुत्र रूपा जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
14. लादूलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
15. हेमराज पुत्र कैलाश जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण....

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री महेश चन्द्र सुखवाल(विपक्षी संख्या 3)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.12.2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा के खाता संख्या 447 की आराजी संख्या 462, 463 कुल किता 2 रकबा 0.5342 हेक्टर कृषि भूमि स्थित होकर दो साखी भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण व उसके परिवारजन काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने हेतु सजबेल व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि रेकाडेड

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

रास्ता आराजी संख्या 368 से होकर आराजी संख्या 349 की उत्तरी मेर व आराजी संख्या 405 की दक्षिणी मेर व आराजी संख्या 464 की उत्तरी मेर पर स्थित रास्ते पर होकर अपनी कृषि भूमि आराजी संख्या 463 व 462 पर पहुंचते है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे आराजी संख्या 349, 405 व 464 में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण ने दिनांक 18.07.2023 को प्रार्थीगण व उसके परिवारजन को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु मना कर दिया जबकि प्रार्थीगण व उसके परिवारजन काफी बरसो से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की भूमि मे पहुँचने हेतु मोजूद नहीं है इसलिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 349, 405 व 464 में से प्रार्थीगण को करीब 15 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जाना न्याय संगत है। रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि बिगर काश्त ही रहेगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे सम्भव नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा की शरहद मे खाता सख्या 447 की आराजी संख्या 462, 463 कुल किता 2 रकबा 0.5342 हेक्टर मे पहुचने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 349, 405 व 464 में से प्रार्थीगण को करीब 15 फीट चोड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को नजरी नक्शे मे ए से बी बिन्दु दर्शाया गया है।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। दिनांक 04.10.2023 को विपक्षीगण संख्या 1 से 16 की बाद तामील सम्मन प्राप्त। विपक्षी संख्या 3 की ओर अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 1 से 2 व 4 से 15 को बारी–बारी से आवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारीत किये गये।

दिनांक 29.09.2023 को तहसीलदार माण्डलगढ़ को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया तहसीलदार माण्डलगढ़ ने उनके पत्र क्रमांक राजस्व/2023/976 दिनांक 27.09.2023 द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रकरण में मौका निरीक्षण पक्षकारान की उपस्थिति में किया गया है। यह है कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा स्थित आराजी संख्या 462 व 463 प्रार्थीगण नानीबाई पत्नि लक्ष्मीचंद बालु रूपलाल मांगीबाई पिता लक्ष्मीचंद भवानीशंकर पिता लक्ष्मीचंद प्रेम पत्नि घीसू ब्राहमण निवासी जोजवा के नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज होकर उक्त भूमि पर पहुंचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज नहीं है। यह है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा तहसील माण्डलगढ़ स्थित अप्राथी की आराजी संख्या 349 व 464 की उत्तरी मेड़ पर 15 फीट चौड़ाई मे रास्ता चाहा गया है। यह है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विपक्षी की ग्राम जोजवा स्थित आराजी संख्या 349 रकबा 0.9874 हैक्टेयर विपक्षी नंदराम पिता शंकरलाल 1/2 मांगीबाई पत्नि शंकरलाल 1/2 शर्मा के नाम व आराजी संख्या 464 रकबा 0.2185 हैक्टेयर कैलाश, प्रेमचंद, विष्णुदत्त पिता रामप्रताप, रामकंवर बाई पत्नि रामप्रताप 2/3 घनश्याम पिता मांगीलाल 1/3 ब्राह्मण सा. देह के नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 349 रकबा 0.9874 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0100 हैक्टेयर व आराजी संख्या 464 रकबा 0.2185 हैक्टेयर में से 0.0230 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 1.2059 में से रकबा 0.0330 हैक्टेयर भूमि (15 फीट चौड़े रास्ते हेतु) रास्ते हेतु उपयोग में आती है। उक्त भूमि को रास्ते हेतु प्रस्तावित की जा रही है। यह है कि प्रस्तावित भूमि को ऑनलाईन नक्शा प्रति मे लाल स्याही से इंगित किया है। यह है कि प्रस्तावित किया गया रास्ता लघुत्तम है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुचने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह है कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा की डी.एल.सी. दर 834902 रूपये प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली विपक्षीगण की खातेदारी भूमि रकबा 0.0330 हैक्टेयर भूमि की मालियत की दुगुनी राशि अर्थात **प्रतिभूमि राशि 55440/–**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

Mahes

उपखण्ड अधिकारी

रुपये (पचपन हजार चार सौ चालीस रूपये) बनती है। यह है कि डी.एल.सी. की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

दिनांक 08.12.2023 को अधिवक्ता विपक्षी 3 ने लिखित बहस तथा दस्तावेज पेश किये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त दोनों रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी संख्या 462 व 463 पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 349 व 464 में होते हुये पहुँचता है लघुतम एवं न्यूनतम है। विपक्षीगण की खातेदारी भूमि की आराजी संख्या 349 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से 0.0100 हैक्टेयर व आराजी संख्या 464 रकबा 0.2185 हैक्टेयर में से 0.0330 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 0.0330 हैक्टेयर पर रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0330 हैक्टेयर (15 फीट चौड़ा) भूमि का उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 834902 रुपया प्रति हैक्टेयर से मालियत 27720 राशि की दुगुनी राशि 55440 रुपया भूमि का बनता है। बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया कि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना संख्या F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03. 2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में **प्रार्थीगण नानी बाई पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति ब्राहमण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ वगैरा की ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा की आराजी संख्या 462 व 463 किता 02 रकबा 0.5342 हैक्टेयर भूमि पर पंहुचने हेतु विपक्षीगण नन्दराम पुत्र शंकरलाल जाति शर्मा निवासी जोजवा वगैरा की ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा के आराजी संख्या 349 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से 0.0100 हैक्टेयर व आराजी संख्या 464 रकबा 0.2185 हैक्टेयर में से 0.0230 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 0.0330 हैक्टेयर पर रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0330 हैक्टेयर (15 फीट चौड़ा) भूमि का उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल. सी. दर 834902 रुपया प्रति हैक्टेयर से मालियत 27720 राशि की दुगुनी राशि 55440 रुपया (पचपन हजार चार सौ चालीस) रुपया प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण** को अदा किये जाने पर एवं विपक्षीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक **08.12.2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(महेश गगोरिया)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
माण्डलगढ़ जिला–भीलवाड़ा